राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– लेखा–13 / अंकमिलान / 2024 /   दिनांक :–

परिपत्र

यह देखने में आया है कि अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों द्वारा वेतन भत्तों एंव अन्य उपमदों से बिल तैयार कर कोषालय में भिजवाते हुए बजट मांग संख्या गलत अंकित कर दिये जाने के कारण कार्यालय द्वारा व्यय की गई राशि का अंकमिलान महालेखाकार से नियत समय पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण विभाग के Outstanding Objection Book Voucher की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक जन–स्वास्थ्य की बजट मांग संख्या 26 के स्थान पर मांग संख्या 27 कर दी गई है, किन्तु अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कोषालय में बिल प्रेषित करते समय मांग संख्या 27 के स्थान पर मांग संख्या 26 अंकित कर देने के कारण उक्त राशि सही मद में बुक नही हो रही है, जिसके कारण महालेखाकार द्वारा आक्षेपित किया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि Objection Book voucher के क्रम में अधीनस्थ चिकित्सा संस्थाओं के आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष 2023–24 में किये गये व्यय का अंकमिलान कर विभाग को दिनांक 20.03.2024 तक इस आशय का प्रमाण–पत्र भिजवाये कि कार्यालय द्वारा किये गये व्यय का अंकमिलान कर लिया गया है तथा कार्यालय द्वारा प्रेषित बिलों पर बजट मांग संख्या सही अंकित की गई है तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा चाही गई अन्य आक्षेपित कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

समस्त अधीनस्थ कार्यालयों / चिकित्सा संस्थानो के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि वित्तीय वर्ष 2023–24 में मांग संख्या 26 अंकित कर कोषालय में बिल प्रेषित किये गये है तो उन बिलों के संबंध में मांग संख्या 26 के स्थान पर मांग संख्या 27 अंकित कर संबंधित कोषालय एवं महालेखाकार कार्यालय में व्यक्तिशः या दूरभाष पर सम्पर्क कर उक्त बाउचरों को सही करवाये अन्यथा सही मद में सही राशि बुक न होने पर आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी। भविष्य में कोषालय में प्रेषित बिलों पर विभाग की मांग संख्या 27,30 व 51 की सही जांच कर ही बिलों पर मांग सही संख्या अंकित किया जाना सुनिश्चित करे।

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवायें
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक :– लेखा–13 / अंकमिलान / 2024 / 810   दिनांक :– 19-3-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोन–कार्यालय।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज0 जयपुर।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राज0 जयपुर।
4. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
5. समस्त मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
6. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

RajKaj Ref
6153607

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवायें

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.
Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :16-03-2024 12:49:36

D:\Room 128\2020-21\MS Word work room 128/U.O NOTE 2020-21